कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची
आवश्यक सूचना (द्वितीय चरण)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आर.टी.ई). के अंतर्गत सत्र 2025–26 में प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत शेष रिक्त सीटों पर द्वितीय चरण द्वारा ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (C) एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 237 दिनांक 16.02.16 एवं कार्यालय पत्रांक 1120 दिनांक 11.04.2025 के आलोक में अभिवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन के प्रथम चरण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। प्रथम चरण के नामांकन के पश्चात् विद्यालयों में कुछ सीटें रिक्त रह गयी है। रिक्त सीटों पर द्वितीय चरण में नामांकन किया जाना है।

इस हेतु निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं:

- **नामांकन की पूरी प्रक्रिया जिले के वेबसाईट www.rteranchi.in पर ऑनलाइन की जायेगी।**
- **संबंधित विद्यालयों के लिए द्वितीय चरण में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 03.09.2025 से 10.09.2025 तक किया जा सकेगा ।**
- **द्वितीय चरण में नामांकन हेतु केवल वैसे अभ्यर्थी भाग लेंगे जिसने पूर्व में आवेदन किया हो एवं जाँचोपरांत आवेदन पत्र योग्य पाया गया हो। नये अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं होगा।**
- **वेबसाइट पर विद्यालयवार रिक्त सीटों का विवरण अंकित है। अभ्यर्थी /अभिभावक के द्वारा पड़ोस के (क्रमशः 01 कि.मी., 03 कि.मी. एवं अंततः 06 कि.मी. दूरी सीमा तक) विद्यालय का चयन कर आवेदन करना है।**
- **प्रत्येक अभ्यर्थी /अभिभावक को अपने Login id से संबंधित वेबसाइट पर केवल एक विद्यालय का चयन करना होगा जहाँ सीटें रिक्त हो एवं संबंधित विद्यालय से अपने घर की दूरी कि0मी0 में अंकित कर आवेदन Submit करनी होगी।**
- **उपरोक्त अंकित दूरी के अनुसार द्वितीय चरण के ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया दिनांक 13.09.2025 को जिला समाहरणालय में पूर्ण की जायेगी।**

ह0/–
जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–अपर जिला कार्यक्रम
पदाधिकारी–सह–नोडल पदाधिकारी, RTE, राँची।

ज्ञापांक : 2586 राँची/ दिनांक 01-09-25

प्रतिलिपि : जिला जन संपर्क पदाधिकारी, राँची जिला का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दिनांक 02.09.2025 के अंक में स्थानीय तीन समाचार पत्रों में उपयुर्क्त सूचना के प्रकाशन करना सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, राँची जिला का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि जिले के वेबसाइट www.ranchi.inc.in पर संबंधित सूचना को अपलोड करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिलिपि : मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, राँची जिला के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/अवर विद्यालय निरीक्षक राँची 01 एवं 02, राँची जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के रिक्त सीटों के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए स्थानीय योग्य छात्र–छात्राओं का आवेदन करवाना सुनिश्चित करेंगे।

01/09/25

1/9/25

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–अपर जिला कार्यक्रम
पदाधिकारी–सह–नोडल पदाधिकारी, RTE, राँची।